राष्ट्र के विकास में नारी का योगदान

डा. प्रीति सिंह
व्याख्याता, इतिहास विभाग
गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय, गढ़वा

प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुंमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी, महिला का सशक्तीकरण जरूरी है और सशक्तीकरण के लिए शिक्षा। आज महिलाएं राजनीति, समाजसुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबन्धन, शासन–प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरूषो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। यह और बात है कि जब इन प्रक्रियाओं को इतिहास या राष्ट्रीय 'माइथालॉजी' रूप दिया जाता है, तब स्त्रियो को केवल "पुरुष की प्रेरणा" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या फिर अधिक से अधिक ऐसी वीरांगनाओं के रूप में जिन्हें परिस्थितियां पराक्रम के लिए बाध्य कर देती हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं।

राजनैतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजय लक्ष्मी पंडित ने 1946, 1947, 1950 और 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1953–54 में वह संयुक्तराष्ट्र्महासभा की सदस्य भी रहीं। 1962–64 में महाराष्ट्की राज्यपाल और 1964–66 तक लोकसभा की सदस्य रहीं। कुल्सुम जे. सायानी ने 1957 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुए प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में समाज सेवा के लिए पद्म श्री तथा 1969 में नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नैसर्गिक रूप से तो स्त्री–पुरुष एक–दूसरे के पूरक हैं ही। जिस आधुनिक लोकतात्रिक समाज मनुष्य अपने व्यक्तित्व की नयी ऊचाइयां छू रहा है, उसके निर्माण में भी स्त्री की भूमिका दूसरे जें की नहीं मानी जा सकती। हमारे अपने देश में भी, जब से देश के आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तित की प्रक्रिया आरंभ होती है, तभी से हम स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाते पाते है। किसी भी राष्ट्रा के निर्माण में साहित्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। विशिष्टं साहित्य समाज के नागरिकों में उत्तम गुणों का संचार करता है तथा राष्ट्री की अंतरर्राष्ट्री य स्तर पर मान दिलाता है।

भारतीय साहित्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर नई पीढ़ी की महिला रचनाकारों में भी राष्ट्र के प्रति गौर, आस्था के भाव व नागरिकों के लिए चेतना के स्वर प्रस्फुटित होते आए हैं। कहानी के क्षेत्र में मुन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, कवियित्रियों में कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर, इंदु जैन, स्नेहमयी चौधरी, अनामिका कात्यायनी के अतिरिक्त समग्र साहित्य के क्षेत्र में अमृता प्रीतम, अजीत कौर, अनिता देसाई, कमला दास, शशि देशपांडे, मंजीत कौर टिवाणा, पदमा सचदेव प्रतिभा दे. लिली मिश्रा दे, राजम कुंदनिका कपाड़िया सुनेत्र गुप्ता, इंदिरागोस्वामी, नवनीता देव सेन सहित अनेक महिला रचनाकारों ने विभिन्न भाषा में अपनी रचनाओं में भारतीय जन–जीवन, मानवीय संवेदनाओं का गहन चित्रण कर के देश–विदेश में भारत का पुरुषों से अधिक योग्य सिद्ध हो रही हैं। 9 मई, 1984 को कुमारी बछेंद्री पाल एवरेस्ट चोटी पर विजय पताका फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं। 5 अक्तूबर, 1989 को केरल उच्च न्यायालय की भूतपूर्व न्यायाधीश एम.फातिमा बीवी ने सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया। गीत–संगीत के क्षेत्र में महिलाओं ने आकाश की बुलोंदयों को स्पर्श करके विदेशियों को भी मोहित किया है। एम. एस. सुब्बलक्ष्मी ने अपनी मीठी वाणी से कर्नाटकीय संगीत को पश्चिम के लोगों में लोकप्रिय कर दिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर तथा आशा भोंसले की मीठी तान सुनकर भारतीय ही नहीं सुदूर देशों में बसे विदेशी भी झूम उठते हैं। प्रथम महिला आई. पी, एस. किरण बेदी ने भारत की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में कैदियों को सुधार कर अपने प्रयास शुरू किए। अगर खेलों की बात करें तो पी. टी. उषा से लेकर सानिया, साइना पी. वी. सिंधु मेरीकॉम साक्षी मलिक जैसी महिलाओं ने भारत का मस्तक ऊँचा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है।

इक्कीसवीं सदी की ओर भारत में नारियों को प्रेम, बलिदान तथा विनम्रता के प्रतीक के रूप में सराहा गया है। इसके बावजूद विडम्बना यह है कि महिलाओं को, जिन्होंने अपने परिवार तथा समाज के विकास के लिए स्वयं को मिटा दिया, योजनाबद्ध विकास के पाँच दशकों के बाद भी उन्हें सामाजिक व्यवस्था में यथोचित स्थान नहीं मिला। वे सर्वाधिक उपेक्षित रही हैं।

संस्कृति, संस्कार और परम्पराओं की संरक्षिका के रूप में कर्तव्य

महिलाएं ही संस्कृति, संस्कार और परम्पराओं की वास्तविक संरक्षिका होती हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचारण और संरक्षण करती रहती हैं, सम्पूर्ण विश्व में भारत को विश्वगुरू का दर्जा दिलाने में महिलाओं की ही भूमिका रही है। यही कारण है कि भारत को संस्कृति और परम्पराओं का देश कहा जाता है।

सामाजिक–शैक्षिक–धार्मिक योगदान

सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परम्परा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे हस्तान्तरित होती हैं। अतः महिलाओं के सामाजिक–शैक्षिक–धार्मिक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। कहा

भी गया है कि सशक्त महिला, सशक्त समाज की आधारशिला है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षक है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। जब यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती है तो यह एक सर्वोत्तम और पावन कार्य हो जाता है। देश की प्रथम शिक्षिका "सावित्री बाई फुले" एक अनुकरणीय उदाहरण है। वैदिक सभ्यता की मैत्रेयी, गागी, विश्ववारा, लोपामुद्रा, घोषा और विदुषी नामक महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु आज भी पूजनीय हैं, जिन्होंने राष्ट्र–निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। 1961 के दहेज विरोधी अधिनियम द्वारा दहेज लेना व देना अपराध घोषित कर दिया गया मगर व्यावहारिक रूप से कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की स्थिति– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री की दशा में बदलाव आया। भारतीय संविधान के अनुसार उसे पुरुष के समकक्ष अधिकार प्राप्त हुए। स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए स्त्रियों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति की व्यवस्था हुई। परिणामतः जल, थल व वायु कोई भी क्षेत्र स्त्री से अछूता नहीं रहा। 1995 के विशेष विवाह अधिनियम ने स्त्रियों को धार्मिक व अन्य सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त होकर विवाह करने का अधिकार दिया, अब बहुपत्नी विवाह गैर कानूनी माना गया। स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद का पूरा अधिकार मिला और विधवा विवाह भी कानूनी रूप से मान्य हुआ। पत्नी पति की दासी नहीं मित्र मानी जाने लगी।

जिस प्रकार तार के बिना वीणा और धुरि के बिना रथ का पहिया बेकार होता है, उसी तरह नारी के बिना मनुष्य का सामाजिक जीवन।

शिक्षा

हालांकि भारत में महिला साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ रही है। लेकिन यह पुरुष साक्षरता दर से कम है। लड़कों की तुलना में बहुत ही कम लड़कियाँ स्कूलों में दाखिला लेती हैं और उनमें से कई बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। 1997 के नेशनल सैम्पल सर्वे डेटा के मुताबिक केवल केरल और मिजोरम राज्यों ने सार्वभौमिक महिला साक्षरता दर को हासिल किया है। ज्यादातर विद्वानों ने केरल में महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता को माना है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (एनएफई) के तहत राज्यों में 40% केंद्र और केन्द्र शासित प्रदेशों में 10% केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2000 तक लगभग 0.3 मिलियन (तीन लाख) एनएफई केन्द्रों द्वारा तकरीबन 7.42 मिलियन (70 लाख 42 हजार) बच्चों को सेवा दी जा रही थी जिनमें से से लगभग 0.12 मिलियन (12 लाख) विशेष रूप से लड़कियों के लिए थे। शहरी भारत में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग साथ–साथ चल रही हैं। हालांकि ग्रामीण भारत में लड़कियों को आज भी लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है।

अमेरिका के वाणिज्य विभाग की 1998 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं की शिक्षा की एक मुख्य रुकावट अपर्याप्त स्कूली सुविधाएं (जैसे कि स्वच्छता संबंधी सुविधाएं), महिला शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम में लिंग भेद हैं। ज्यादातर महिला चरित्रों को कमजोर और असहाय दर्शाया गया है।

स्त्री शिक्षा की भूमिका

संस्कृत में यह उक्ति प्रसिद्ध है– 'नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मातृ समोगुरुः'। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में विद्या के समान क्षेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है। यह बात पूरी तरह सच है। बालक के विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को पाठ पढ़ाती है। बालक का यह प्रारंभिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में इतने असामाजिक तत्व उभर आए हैं, जिन्होंने मां–बहनों का रिश्ता खत्म कर दिया है और जो भोग–विलास की जिंदगी जीना अधिक उपयोगी समझने लगे हैं। यही कारण है कि कस्बों से लेकर शहरों की मां–बहनें असुरक्षित हैं। असुरक्षा के कारण ही बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी अनेक घटनाओं के जाल में फँसकर महिलाओं का जीवन नर्क बन चुका है। वास्तव में कहा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा, किसी भी पुरुष की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। समाज की नई रूपरेखा तैयार करने में महिलाओं की शिक्षा पुरुषों से सौ गुना अधिक उपयोगी है। इसलिए स्त्री शिक्षा के लिए सरकार को प्रयासरत होना चाहिए। तभी अत्याचार जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है।

शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि नारी शिक्षित होकर पुरुष को अपना प्रतिद्वन्द्वी मानते हुए उसके सामने ही मोर्चा लेकर खड़ी हो जाए। बल्कि वह आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष के बराबर समानता का अधिकार प्राप्त करके उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध के समीकर्ण बनाने में सक्षम बने। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। अगर नारी ही शिक्षित नही होगी तो वह न तो सफल गृहिणी बन सकेगी और न कुशल माता। समाज में बाल अपराध बढ़ने का कारण बालक का मानसिक रूप से विकसित न होना है। अगर एक माँ ही अशिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करके उनका मानसिक विकास कैसे कर पाएगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण एवं विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षित नारी ही भविष्य में निराशा एवं शोषण के अन्धकार से निकलकर परिवार को सही राह दिखा सकती है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह शामिल करने से संबंधित है। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को संदर्भित करता है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्व मान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिये जितना कि

पुरुष हो। यह सिद्ध सत्य है कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की सन्तानो का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

आम धारणा के विपरीत महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत कामकाजी है। राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रहण एजेंसियाँ इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक गंभीर न्यूनानुमान है। हालांकि पारिश्रमिक पाने वाले महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम है। शहरी भारत में महिला श्रमिकों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। एक उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर उद्योग में 30%कर्मचारी महिलाएं हैं। वे पारिश्रमिक और कार्यस्थल पर अपनी स्थिति के मामले में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ बराबरी प्रर हैं। ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों के अधिक से अधिक 89.5% तक को रोजगार दिया जाता है। कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55% से 66% तक है। 1991 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94% है। वन–आधारित लघु–स्तरीय उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 51% है।

संदर्भः

1. द हिन्दू, मूल से 25 दिसंबर, 2018।

2. शेरिंग, एम. ए., द हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्टेंट मिशन, पृ० 442.।

3. एस. एन. मुखर्जी : एजूकेशन इन इण्डिया, टूडे एवं टुमारो, पृ० 242.।

4. आर्टिकल 15 ऑफ द कान्सटीट्यूशन ऑफ फ्री इण्डिया।

5. कोठारी कमीशन रिर्पोट, पृ० 176.।

6. पाठक, पी. डी. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, 1992, पृ. 549।